

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751-244228
(कार्यालय)
ई-मेल : E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website
:http://www.jiwaji.edu/
दिनांक : 09/03/2024

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/10524
प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक

समस्त सम्बद्ध अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय:- परिनियम 28/17 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ कराये जाने
के चयन समिति की शुल्क जमा करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत समस्त अशासकीय/अनुदानित एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों
को परिनियम 28/17 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने हेतु
विज्ञापन जारी किये जाने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अंतिम तिथि उपरांत
नियुक्ति हेतु प्राप्त महाविद्यालयों के चयन समिति के गठन हेतु चयन समिति की शुल्क
ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।

अतः उक्त संबंध में समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक को सूचित
किया जाता है कि, वे महाविद्यालय जिनके द्वारा परिनियम 28/17 के अंतर्गत प्राचार्य
एवं शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन विश्वविद्यालय में
प्रस्तुत किये जा चुके हैं। वे चयन समिति की शुल्क एम0पी0ऑनलाइन पोर्टल के
माध्यम से भरकर रसीद की प्रति विश्वविद्यालय की सम्बद्धता शाखा में अनिवार्य रूप से
प्रस्तुत करें।

यदि महाविद्यालय द्वारा परिनियम 28/17 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ
की नियुक्ति हेतु चयन समिति की शुल्क जमा नहीं की जाती है, तो उनकी चयन
समिति का गठन नहीं किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयवधि में
परिनियम 28/17 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण नहीं करायी जाती
है, तो आगामी सत्र में महाविद्यालय की सम्बद्धता प्रक्रिया में शामिल नहीं किया
जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबंधन समिति की
होगी।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. श्री संजय बरथरिया, प्रभारी, आई. टी. सेल. की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि
वह उक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।


निदेशक,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्